(53)

(75)

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक :– 02/06/2014

संख्या– 7 स्था0 (3) पशुधन– 36/2012 ...1173(5).../ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पशुधन सहायक संवर्ग समूह के भर्ती प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

पशुधन सहायक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –**

(i) यह नियमावली पशुपालन निदेशालय (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के अधीन पशुधन सहायक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ :–** इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :–

(i) ''सम्वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के पशुधन सहायक/ पशुधन अधिदर्शक/ पशुधन पर्यवेक्षक/ पशुधन निरीक्षक/ सहायक तकनीकी पदाधिकारी (पशुधन)/ सहायक चारा विकास पदाधिकारी के पदों पर नियुक्त कर्मियों का संवर्ग;

(ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना;

(iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना;

(iv) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवर्त्तन की तिथि; तथा

(v) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवर्त्तन के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है;

3. **संवर्ग की संरचना ।– पशुधन सहायक संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी –**

क्र0 सं0	कोटि का नाम	स्तर
(क)	पशुधन सहायक/ पशुधन अधिदर्शक	मूल कोटि
(ख)	पशुधन पर्यवेक्षक स्वीकृत बल का 50%	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	पशुधन निरीक्षक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(घ)	सहायक तकनीकी पदाधिकारी (पशुधन)/ सहायक चारा विकास पदाधिकारी।	तृतीय प्रोन्नति स्तर

Scanned with OKEN Sca

सर्वरित किया जायेगा।

4.संवर्ग बल ।— संवर्ग बल सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

5.भर्ती ।—

(1) सीधी भर्ती – पशुधन सहायक/पशुधन अधिदर्शक के पदबल का 85% पद सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी।

(2) पशुधन सहायक के पदबल का शेष 15% पदों को निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों की नियमित स्थापना में कार्यरत एवं सेवा में सम्पुष्ट समूह 'घ' के ऐसे कर्मियों, जो न्यूनतम इन्टरमीडिएट (जीव विज्ञान) या समकक्ष परीक्षा (जीव विज्ञान विषय सहित) उत्तीर्ण हों और जो न्यूनतम 5 वर्षों से सेवारत हों, में से वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर भरा जाएगा।

(3) पशुधन पर्यवेक्षक के पदों पर 50 % पद पशुधन सहायक के सम्वर्ग से प्रोन्नति द्वारा एवं 50% पद आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति से भरा जायेगा।

(4) पशुधन निरीक्षक के शत प्रतिशत पदों को पशुधन पर्यवेक्षकों की प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(5) सहायक तकनीकी पदाधिकारी (पशुधन)/चारा विकास पदाधिकारी के शत प्रतिशत पदों को पशुधन निरीक्षकों की प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(6) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद, संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(7) सम्यक छानबीन के बाद, नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

6. परिवीक्षा ।— प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि बिस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

7. अर्हत्ता ।— (i) पशुधन सहायक/पशुधन अधिदर्शक के लिये न्यूनतम शैक्षणिक इन्टरमीडिएट (जीव विज्ञान) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष (जीव विज्ञान विषय सहित) होगी।

(ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जाय।

(iii) उक्त अर्हता मूल कोटि (पशुधन सहायक/पशुधन अधिदर्शक) के पद पर आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती, अनुकम्पा आधारित नियुक्ति तथा समूह "घ" के कर्मियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामलों में अनिवार्य होगी।

(iv) पशुधन पर्यवेक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी०एस०सी० (जीव विज्ञान) में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

8. आरक्षण ।– भर्ती एवं प्रोन्नति के मामलों में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/ रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

9. प्रोन्नति द्वारा मूल कोटि के पद (पशुधन सहायक/पशुधन अधिदर्शक) पर भर्ती ।–

(i) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इन्टरमीडिएट (जीव विज्ञान) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार की जायगी।

(ii) पशुपालन निदेशालय स्तर पर गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति वरीयतानुसार दी जायेगी।

10. प्रशिक्षण ।– चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के उपरान्त 1 (एक) वर्ष का प्रशिक्षण विभाग द्वारा अवधारित पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जायगा। प्रशिक्षण में विभाग द्वारा अवधारित कुल अंक का 50% प्राप्त करना आवश्यक होगा। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले कर्मी को तीन–तीन महीने के अन्तराल पर तीन मौका उत्तीर्ण होने हेतु दिया जायेगा। तदोपरान्त अनुत्तीर्ण कर्मी को सेवामुक्त कर दिया जायेगा। सेवा के प्रत्येक 5वें वर्ष में इस सम्वर्ग के सभी कर्मी को 15 दिनों का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जायेगा।

11. सम्पुष्टि ।– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट किया जायेगा। हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उतीर्ण होने के पश्चात ही वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी।

12. वरीयता ।– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं।

परन्तु यह भी कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

13. प्रोन्नति।— (1)— प्रोन्नति के पद सोपान निम्नवत् होंगे :—

(क) प्रथम नियुक्ति का मूल पद — पशुधन सहायक/पशुधन अभिदर्शक

(i) 85% पर सीधी नियुक्ति का मूल पद।

(ii) पशुधन सहायक के शेष 15% पद पर समूह "घ" के पद पर कार्यरत इन्टरमीडियट (जीव विज्ञान) उत्तीर्ण कर्मियों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायगे।

(ख) प्रोन्नति का प्रथम पद सोपान — पशुधन पर्यवेक्षक

पशुधन पर्यवेक्षक के 50% पद आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति एवं 50% पद पशुधन सहायक/पशुधन अधिदर्शक से, प्रोन्नति द्वारा भरे जायगे।

(ग) प्रोन्नति का द्वितीय पद सोपान — पशुधन निरीक्षक :—पशुधन निरीक्षकों के शत—प्रतिशत पद पशुधन पर्यवेक्षकों के द्वारा,प्रोन्नति द्वारा, भरे जायगे।

(घ) प्रोन्नति का तृतीय पद सोपान — सहायक तकनीकी पदाधिकारी (पशुधन)/सहायक धारा विकास पदाधिकारी :—शत प्रतिशत पद पशुधन निरीक्षकों की प्रोन्नति द्वारा भरे जायगे।

(2)— पशुपालन निदेशालय स्तर पर प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर गठित की जायगी:—

(क) निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना	— अध्यक्ष।
(ख) संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)	— सदस्य।
(ग) उप निदेशक (मुख्यालय)	— सदस्य।
(घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी	— सदस्य।
(ङ०) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव/ प्रधान सचिव द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	— सदस्य।

(3)— प्रोन्नत पद पर वरीयता— पशुधन पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नत कर्मी की पारस्परिक वरीयता पशुधन सहायक की पारस्परिक वरीयता के आधार पर विनिश्चित की जायेगी। इसी तरह पशुधन निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता पशुधन पर्यवेक्षक की पारस्परिक वरीयता के आधार पर की जायेगी। उपरोक्त वर्णित सभी स्तर पर प्रोन्नति वरीयता सह उपयुक्तता के आधार पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, दी जायेगी।

14. संवर्ग का स्तर ।— यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

15. अवशिष्ट मामले ।— ऐसे मामले जो इस नियमावली द्वारा, विशिष्ट रूप से, आच्छादित नहीं हैं, राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिये लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. **कठिनाईयों का निराकरण** ।— नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग या वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

17. **शिथिल करने की शक्ति** ।— जहाँ विभाग की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ विभाग आदेश द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगा।

18. **निर्वचन** ।— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निवर्चन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।— (i) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद्द्वार निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या :— 7 स्था (3) पशुधन 36/2012 ....1174 (नि)....पटना, दिनांक ....02/06..../2014

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या :— 7 स्था (3) पशुधन 36/2012 ....1174 (नि)....पटना, दिनांक ....02/06..../2014

प्रतिलिपि :—महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।